न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर.ए.एस

निगरानी सं0 06 / 17 दायर दिनांकः 15.05.2017

अनवान :– देवीलाल पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी चक नं. 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी चक नं. 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर।
2. ग्राम पंचायत पिचकराईं जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पिचकराईं तहसील नोहर।
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.12.2016 न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर को अपास्त करने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक प्रार्थी

2. श्री हवासिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 03.11.2017

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः–

यह कि ग्राम चक नं. 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर में प्रार्थी का बहुत पुराना तामिरशुदा भूखण्ड है जिसमें वह मकान निर्माण कर निवास कर रहा है उक्त भूखण्ड के पूर्व की और 50 गुणा 90 फुट क्षेत्र का प्रार्थी का कब्जाशुदा भूखण्ड है जिस भूखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत पिचकराईं का आवेदन किया था आवंटनशुदा 10 रूपये जरिये रसीद संख्या 26

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 05.11.2001 अदा किया था किन्तु आज तक उसका पट्टा जारी नही किया गया है। दिनांक 03.10.2016 को अप्रार्थी सं. 1 जगदीश उक्त भूखण्ड पर कब्जा करने लगा तो प्रार्थी द्वारा मना करने पर उसने उक्त जगह का पट्टा होना बताया प्रार्थी ने दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र पृथक से प्रस्तुत कर पट्टा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करना बताते हुए तथा पट्टा दिनांक 28.03.2011 को खारिज करने का निवेदन किया जिस पर मातहत अदालत ने दिनांक 27.12.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 के जगदीश के पक्ष में जारी पट्टे को 90 गुणा 21 फुट यानि आंशिक तौर से खारिज किया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी निम्न आधारों पर अन्य आधारों के साथ निगरानी प्रस्तुत कर रहा है:—

1. यह कि मातहत अदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर बअनवानी प्रकरण देवीलाल बनाम जगदीश आदि प्रकरण सं. 22/2016 निर्णय दिनांक 27.12.2016 विधि की अवहेलना में गैरकानूनी ढंग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
2. यह कि प्रार्थी का बहुत पुराना तामिरशुदा भूखण्ड था जिसमें वह मकान निर्माण कर निवास कर रहा है उक्त भूखण्ड के पूर्व में भी और 50 गुणा 90 फुट क्षेत्र का प्रार्थी का कब्जाशुदा भूखण्ड है जिस पर प्रार्थी करीबन 45 वर्ष से काबिज चला आ रहा है उक्त भूखण्ड में लकडी थेपडी डालने व कृषि यंत्र रखने तथा पशुधन बांधने आदि के काम में लेता आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश ने तत्कालीन सरपंच से साजबाज कर प्रार्थी के कब्जे एवं आधिपत्यशुदा भूखण्ड का विधि विरूद्ध पट्टा बनवा लिया जबकि अप्रार्थी सं. 2 से अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में पट्टा दिनांक 28.03.2011 बनवा लिया अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में पट्टा जारी करते समय वाद भूखण्ड के कब्जा एवं आधिपत्य की कोई जांच नही की है तथा राज. पंचायत राज. अधिनियम 157 के तहत आवासीय भूमि का ही पट्टा जारी किया जा सकता है ऐसा पट्टा पुराने कब्जाशुदा भूखण्ड पर पुराने समय से मकान निर्मित कर निवास करता हो तब ही जारी किया जा सकता है अर्थात पुराने मकान रिहायशी होना चाहिए प्रश्नगत पट्टा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 2 ने जब दिनांक 28.03.2011 को जारी किया तब अप्रार्थी सं. 2 के पास कोई पट्टा नही था तथा वाद भूखण्ड का अप्रार्थी सं. 2 के पास कब्जा भी नही था वाद भूखण्ड 90

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

गुणा 50 फुट भूखण्ड प्रार्थी के कब्जा एवं उपयोग व उपभोग व आधिपत्य में था अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में बिना मकान व रिहायश के विधि की स्पष्ट अवहेलना में पट्टा दिनांक 28.03.2011 जारी किया है जो अपास्तनीय है।

3. यह कि निगरानीधीन निर्णय पारित करते समय मातहत अदालत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 28.03.2011 को साईज 90 गुणा 21 फुट जगह का आंशिक तौर से खारिज किया है जबकि कोई भी दस्तावेज पट्टा आंशिक तौर से सही व आंशिक तौर से खारिज नही माना जा सकता है जो विधि की अवहेलना में स्पष्ट तौर पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में उक्त पट्टा जारी था तो वह पट्टा दिनांक 28.03.2011 पूर्व रूप से खारिज करना चाहिए था। विधि की अवहेलना में पारित कोई भी आदेश आंशिक सही व गलत नही माना जा सकता जब 90 गुणा 21 फुट में पट्टा कतई नियम विरूद्ध जारी होना माना है तो उसको सम्पूर्णतः 90 गुणा 50 फुट की भूमि की हद तक पूर्वतः खारीज करना चाहिए था। मातहत अदालत संख्या 3 ने विधि की अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

4. यह कि मातहत अदालत ने वादग्रस्त भूखण्ड का जब मौका निरीक्षण किया तब मौका निरीक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि प्रार्थी 90 गुणा 50 फुट के भूखण्ड पर काबिज है तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पशु बन्धे थे। वंहा लकडी थेपडी था उसकी एक कुई भी निर्मित थी उक्त कब्जा व आधिपत्य करीबन 45 वर्ष से प्रार्थी का चला आ रहा है। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट था जब कब्जा प्रार्थी का था तो अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा दिनांक 28.03.2011 सम्पूर्णतः खारिज किया जाना चाहिए था मातहत अदालत ने बिना कब्जा के अप्रार्थी सं. के पक्ष में जारी पट्टा को आंशिक तौर से सही मानकर कानूनी भूल की है जो अपास्तनीय है।

5. यह कि राज. पंचायत राज. अधिनियम सन् 1994 के नियम 157 में वर्णित प्रोविजन कि पुराने कब्जाशुदा रिहायशी मकान का विनियमिति कारण करवा सकेगा जबकि अप्रार्थी सं. 1 का वाद भूखण्ड था कभी कोई मकान अथवा रिहायश नही कर रही है तथा अप्रार्थी सं. 1 की मौका रिपोर्ट के अनुसार आज भी कोई रिहायश नही है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातों को नजर अंदाज कर गैर कानूनी ढंग से निर्णय पारित किया है तथा विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरित पट्टा दिनांक 28.03.2011 जारी होने से मातहत अदालत को निरस्त करना चाहिए था। मातहत अदालत ने निगरानीधीन निर्णय पारित करते समय कानूनी भूल की है इसलिए निगरानीधीन अपास्तनी है।

6. यह कि प्रार्थी को निर्णय दिनांक 27.12.2016 का पूर्व में कोई ज्ञान नही था क्योंकि मातहत अदालत में प्रार्थी द्वारा कोई अभिभाषक नियुक्त नही था केवल प्रार्थी स्वयं ही पैरवी करता था। अप्रार्थी सं. 3 ने प्रार्थी को कहा कि तु रोज–रोज मत आया करों निर्णय की तुम्हे सूचना कर दी जावेगी। जबकि प्रार्थी को कभी कोई सूचना नही दी गई अप्रार्थी सं. 1 ने जब प्रार्थी के कब्जाशुदा भूखण्ड के दिनांक 06.02.17 को जबरिया दीवार निकालनी शुरू की तब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को मना किया तो अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पक्ष में निर्णय होना बताया जिस पर प्रार्थी ने उसी दिन दिनांक 06.02.2017 को नकल हेतु आवेदन किया तथा आवेदन देकर नकल प्राप्त की फिर प्रार्थी के पास खर्चा आदि नही था जिस हेतु प्रार्थी मजदुरी करने कही गया बाहर चला गया तथा प्रार्थी गरीब देहाती कानूनी ज्ञान से अनभिज्ञ व ग्वार व्यक्ति है तथा खर्चा आदि की व्यवस्था करके बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत कर रहा है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है दोयम अनवानी प्रकरण में राज. पंचायती राज. अधिनियम सन् 1994 की धारा 157 की अवहेलना में पट्टा दिनांक 28.03.2011 जारी किया गया है तथा अप्रार्थी सं. 3 यानि मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध निर्णय पर कोई मियाद अवधि लागु नही होती है फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि मातहत अदालत पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 27.12.2016 निरस्त फरमावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड व अप्रार्थी की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नही इसलिए उनके विरूद्ध

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ताओं की सुनी।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ पंचायत समिति ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा आंशिक खारिज किया है जबकि किसी पट्टे को आशिक खारिज नही किया जा सकता, पूर्ण ही खारिज करना चाहिए। प्रार्थी का ग्राम में बहुत पुराना तामिरशुदा भूखण्ड था, जिसके पूर्व की ओर 50 गुणा 90 फुट का प्रार्थी का कब्जाशुदा भूखण्ड है उक्त भूखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन भी किया हुआ था परन्तु ग्राम पंचायत ने अभी तक पट्टा नही बनाया। अप्रार्थी प्रार्थी के उक्त कब्जाशुदा भूखण्ड पर कब्जा करना चाहा तो प्रार्थी ने मना किया तो बताया कि यह प्रार्थी के पास ग्राम पंचायत से जारी शुदा पट्टा है। उक्त पट्टे की नकल प्राप्त कर अपील पंचायत समिति में प्रस्तुत की परन्तु पंचायत समिति ने पूर्ण जांच न कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 28.03.2011 को आंशिक खारिज किया है, जबकि प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर पुराना कब्जा था। ग्राम पंचायत कब्जेशुदा भूखण्ड जिस पर रिहायश कर रहा हो तो ग्राम पंचायत पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 के अन्तर्गत मकान का विनियमितीकरण कर सकती है पट्टा जारी किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थी का ना तो भूखण्ड पर कब्जा है ना ही आदिनांक तक रिहाईश है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 157 के तहत पट्टे को जारी माना है। जब पट्टा नियम 157 के तहत जारी है तो उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा किस आधार पर माना है व पट्टा आंशिक किस कारण से खारिज किया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज एवं नियम विरूद्ध विधि की अवहेलना में निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा अपास्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.11.2010 की अनुपालना में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अपीलार्थी का उक्त भूखण्ड के कुछ हिस्से पर ही नाजायज कब्जा था फिर भी पंचायत समिति ने अपीलार्थी के कब्जे को सही माना है। अधीनस्थ पंचायत समिति ने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा 90 गुणा 50 में से 90 गुणा 21 वर्गफुट का पट्टा खारिज कर दिया परन्तु प्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अब अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को समस्त को खारिज करवाना चाहता है जबकि पंचायत समिति ने पहले ही अप्रार्थी के पट्टे को अवैध रूप से खारिज किया है क्योंकि अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत ने पूर्ण जांच करने के पश्चात व अप्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर कब्जा होने पर पट्टा जारी किया था। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाते हुए अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को बहाल रखा जावे।

हमने बहस सुनी। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। यह सही है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पक्ष में कब्जेशुदा भूखण्ड 50 गुणा 90 फिट का पट्टा जारी किया था परन्तु उक्त भूखण्ड पर 21 गुणा 90 फिट पर प्रार्थी का कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को 90 गुणा 21 फिट की हद तक खारिज कर दिया जो विधि सम्मत रिकार्ड एवं मौके के अनुसार किया गया है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझतें है। निगरानी प्रार्थी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)